

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)**अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण**यूआईडी संख्या: **UPFS/2021/36459/CHN/CHANDAULI/210/CFO**दिनांक: **10-06-2025**प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **LAXMI PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **ARAZI NO 32 2 32 3,,KAILASHPURI MAUZA BECHUPUR PARAGANA MAWAI,CHANDAULI** तहसील - **MUGHALSARAI** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
LAXMI PUBLIC SCHOOL	3	0	13.26 mt.

तथा प्लाट एरिया **1940.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **LAXMI PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **14-06-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MANOJ KUMAR YADAV** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **14-06-2025** से **13-06-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की आख्यानानुसार-आवेदक द्वारा प्रस्तुत पत्र के अनुसार भवन वर्ष 1990 में निर्मित है। 1- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मी रखा गया है। 2- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में स्थापित रखा जायेगा। 3- निकास मार्ग एवं सेट बैक अवरोध मुक्त रखना अनिवार्य है। 4- अग्नि सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर एन0ओ0सी0 निरस्त समझी जायेगी। 5- वार्षिक विद्युत सुरक्षा आडिट कराया जाना तथा सक्षम एजेंसी से वार्षिक फायर आडिट कराया जाना आवश्यक है। 6- शासनादेश संख्या- 187/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 एवं शासनादेश संख्या- 181/छ:-पु0-8-2024-801(1)/2023 दिनांक- 18 जनवरी 2024 द्वारा जारी किया जा रहा है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**KUMAR RAMASHANKAR
TIWARI**

5C3AA38E6E3474DF768C7C7A6E40AF7B473AA08D

14-06-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **14-06-2025**स्थान : **CHANDAULI**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.